

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय - न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

प्रार्थी अप्रार्थीगण

कैलाश चन्द बनाम ग्राम पंचायत मानसर खेडी व अन्य

केस संख्या 13/25 (2025/52)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी. एक्ट

नांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10.2025	<p>प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री राकेश शर्मा द्वारा विरुद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश किया गया। वकील प्रार्थी से प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय वहस सुनी प्रार्थी के सम्बन्ध में कैवियट प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। अतः कैवियटकर्ता को सुना जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर कैवियट/अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजि० नोटिस जारी हो। पत्रावली 08/10/2025 पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी बस्सी</p>	<p>कैवियटकर्ता नोटिस जारी 1428 711014</p>
01/10/25	<p>पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप. कैवियट के पूर्व में नोटिस जारी होकर वाफिल इतर दिनांक 10/10/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर</p>	
10/10/25	<p>पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। पूर्वदिशानुसार पत्रावली दिनांक 27/10/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर</p>	
13/10/25	<p>पत्रावली पेश प्रार्थना पत्र बाबत मिसल तलब पेश होने पर पूर्व निश्चित तारीख पेशी 27/10/25 से तलब होकर मूल अपील नामान्तरण के साथ पेश हुई। अपीलान्त स्वयं उपस्थित होकर मूल नामान्तरण अपील के विद्वां इत्वा के विद्वां हो जाने से इस प्रा. पत्र अध्याई निवेद्या को आगे चलाया</p>	<p>27/10/25</p>

दिनांक  
आज्ञा या  
कार्यवाही

जाना सारहीन है जिससे प्र.पत्र  
अस्यार्द्ध निवेद्यावा को इली स्तर  
पर खारिज किया जाता है।  
पत्रावली नम्बर से क्रम होकर दाखिल  
दफ्तर हो।

उपकाष्ठ अधिकारी  
बस्सी जिला-जयपुर